

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, 2/1/25
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प पीपलीना

आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्रीपलीनार य भू.अ.नि. क्र. 215 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार श्री/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम थोरीना तहसील 2/15 व जिला राजसमन्द की जमाबन्दी सम्वत् 2077 में खाता संख्या 176 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जानी है)
1	थोरीना	176	दोलतसिंह पुत्र अंकविह	दोलतसिंह पुत्र अंकविह

(fhr)
 सहायक पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी श्रीम
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा. कलक्टर,
 जिला-राजसमन्द

क्रमांक :- 125/258

दिनांक :- 27/9/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार श्री को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री दोलतसिंह पुत्र अंकविह को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(fhr)
 सहायक पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी श्रीम
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,
 जिला-राजसमन्द